

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1550 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को निरस्त करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर यथावत बनाये रखने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यस्थल	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 डी0 एस0 धर्मशक्तू चिकित्साधिकारी	1207/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा0स्वा0के0 गदरपुर, उ0सि0न0	क्षय रोग क्लीनिक पिथौरागढ़।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को अधिनियम की धारा 13(1) एवं 13(2) के अन्तर्गत।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अभूष कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2381
JD(A)
13-7-26
CAOI
13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /26777

देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1550/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1551 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जूनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को निरस्त करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर यथावत बनाये रखने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

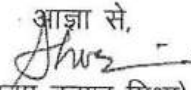
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० अमर जीत सिंह शाहनी, चिकित्सा अधिकारी	1351/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0 पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय उधमसिंहनगर	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को अधिनियम की धारा-7(घ)(2) पर पुनर्विचार करते हुए धारा 13(4) के अन्तर्गत।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

2382

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

JD (A)

13-7-26

13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26778 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1551/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़/रूद्रपुर, उधमसिंह नगर/उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1552 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को निरस्त करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर यथावत बनाये रखने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 हिमांशु पाण्डेय, चिकित्साधिकारी	1351/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा0स्वा0के0 भवाली, नैनीताल	आई0सी0यू0 चम्पावत।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को अधिनियम की धारा 13(1) एवं 13(2) के अन्तर्गत।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2353

JD(A)

13-7-26

CAOI

13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26779 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1552/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, चम्पावत।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, चम्पावत।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1553 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

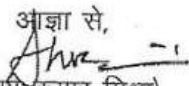
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को निरस्त करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर यथावत बनाये रखने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० अल्पना मिश्रा, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1202/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा०स्वा०के० गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	सा०स्वा०के० नैनीडाण्डा, पौड़ी	सम्बन्धित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित दिवस को अधिनियम की धारा-13(1) तथा 13(3) के अन्तर्गत।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2384

JD(4)

13-7-26

CAOT

13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26780 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1553/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/पौड़ी/उधमसिंह नगर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर/पौड़ी।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1554 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को निरस्त करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर यथावत बनाये रखने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 सुचेता जैन, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1271/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	गैला चिकित्सालय, हरिद्वार।	आई0सी0यू0 ऋषिकेश (देहरादून)	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को अधिनियम की धारा-7(क), 13(6) तथा 15(2) के अन्तर्गत।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

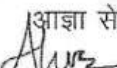
2385

JD(A)

12-7-26

CAO

13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26781

देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1554/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी/हरिद्वार/देहरादून।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी/ऋषिकेश, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1555 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को निरस्त करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर यथावत बनाये रखने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल (यथावत)	स्थानान्तरण का आधार
डा0 प्रदीप कुमार राणा, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1259/XXVIII-1/01(04)2026. 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, देहरादून	सम्बन्धित वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को अधिनियम की धारा-7(घ)(दो) के अन्तर्गत।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अमर कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2386
JD(A)
17-7-26
CAOI
13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26782 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1555/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1556 / XXVIII-1 / 01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

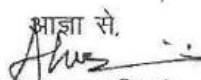
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को निरस्त करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर यथावत बनाये रखने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम / पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल (यथावत)	स्थानान्तरण का आधार
डा0 जीवन प्रसाद, चिकित्साधिकारी	1409/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।	उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)	वर्तमान तैनाती अवधि 03 वर्ष से कम होने तथा कुल दुर्गम सेवा अवधि 10 वर्ष से कम होने, के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-10(क) एवं (ख) से आच्छादित नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार करते हुए, स्थानान्तरण आदेश संख्या 1409/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 29-06-2026 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को उक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

भा.जा. से.

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2387
JDCAJ
12-7-26
13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26783 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1556/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा/उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1557 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

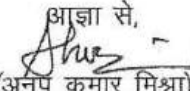
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० संगीता त्रिपाठी, चिकित्साधिकारी	1257/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर	उप जिला चिकित्सालय(बैस), हल्द्वानी	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित परिस्थिति 06 माह सेवानिवृत्त के शेष रहने के कारण सेवानिवृत्तिक औपचारिकताएं पूर्ण करने की बाध्यता के अन्तर्गत।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2388

JD (A)

13-7-26

13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26784 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1557/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर/उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1558 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० प्रभा जोशी, चिकित्साधिकारी	1114/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़	प्रा०स्वा०केन्द्र चकरपुर, उधमसिंहनगर।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा 7(घ) (3) सपठित 13(4) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. मार्व फाईल।

आज्ञा से,
(अमरूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2389
JD (A)
13-7-26
CAOT
13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26785 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1558/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर/चम्पावत।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय, टनकपुर, चम्पावत।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंह नगर/चम्पावत।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, टनकपुर, चम्पावत।
7. गार्ड फाइल।

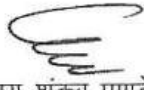
(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1559 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

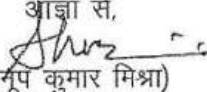
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 उत्तम सिंह खरोला, चिकित्साधिकारी	1364/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून।	उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित परिस्थिति 06 माह सेवानिवृत्त के शेष रहने के कारण सेवानिवृत्तिक औपचारिकताएं पूर्ण करने की बाध्यता के अन्तर्गत।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

7390
JD CA
13-7-26
13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26786 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1559/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार/उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून।
6. स्टाफ आफीसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1560 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० निशा रानी, चिकित्साधिकारी	1137/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, टनकपुर, चम्पावत	उप जिला चिकित्सालय(बिस), हल्द्वानी, नैनीताल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा 13(6) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2391)

JD (4)

12-7-26

CAOR

13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26887 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1560/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल/द्वकनपुर, चम्पावत।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1561 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 16 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० मोनिका श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी	1331/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली	सचिवालय डिस्पेंसरी, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा 13(6) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(दिनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2392

JDC(A)

13-7-26

CAOI

13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26788 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1561/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल/ पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
4. नोडल अधिकारी, सचिवालय, डिस्पेंसरी, देहरादून।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1562 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 अनिल कुमार वर्मा, चिकित्साधिकारी	1175/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा0स्वा0के0 गैरसैण, चमोली	आई0सी0यू0 मेला चिकित्सालय, हरिद्वार	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को ध्वारा 7(घ) (1) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2393)
JD (A)
13-7-26

CAO
13/7/2026

भा.जा. से,
(अ.म. कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26789 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1562/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला (मेला) चिकित्सालय, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/चमोली।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1563 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

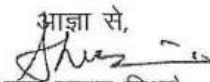
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० मेहरबान सिंह रावत	1143/XXVIII-1/01(04)2026. 29-06-2026	जिला चिकित्सालय रुद्रपुर	उप जिला चिकित्सालय(बेस), हल्द्वानी, नैनीताल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(ख) सपटित 7(घ)(1) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि ऋपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2294
JDLA)
13-7-26
CAOI
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26790 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1563/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर/उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1564 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

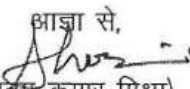
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० विनीता सयाना, चिकित्साधिकारी	1191/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा0स्वा0के0 जखोली, रुद्रप्रयाग	सा0स्वा0के0 डोईवाला, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ) सपडित 13(4) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2395
JDCL
13-7-26
13/7/2026

भा.जा. से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26791 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1564/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रुद्रप्रयाग।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1565 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 भूपेन्द्र सिंह नेगी, चिकित्साधिकारी	1266/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0 मेला, हरिद्वार।	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-11 के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शर्कर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

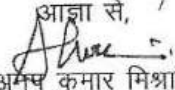
2396

JDC(A)

13-2-26

CAOI

13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26792 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1565/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला (मेला) चिकित्सालय, हरिद्वार।
6. स्टाफ आफीसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8. कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. सम्बन्धित अधिकारी।
10. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1566 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 ममता सिंह, चिकित्साधिकारी	1296/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, टनकपुर	प्रा0स्वा0के0 मोटाहल्दू, नैनीताल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध/ में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(2) एवं धारा 7(ख) के अन्तर्गत पुनर्विचार करते हुए धारा 13(3) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

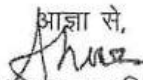

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2397
JDCA
13-7-26

CAO
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखाण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26793 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1566/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/चम्पावत/नैनीताल।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा/उधमसिंह नगर/टकनपुर, चम्पावत।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/चम्पावत/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1567 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० संदीप सिंह पांगती, चिकित्साधिकारी	1323/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0, पिथौरागढ़	सा0स्वा0के0 रामनगर, नैनीताल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(ख) के अन्तर्गत पुनर्विचार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

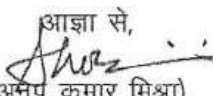

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2398)
JDLA)
12-7-26

CHOI
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26794 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1567/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़/उप जिला चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1568 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

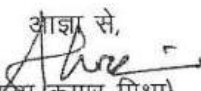
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 दिनेश चन्द्र पनेरु चिकित्साधिकारी	1354/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	प्रा0स्वा0के0 बनभूलपुरा, नैनीताल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(3) 7(घ)(4) सपटित धारा-13(4) एवं धारा-13(5) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- गार्ड फाईल।

2399
JD(A)
13-7-26
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26795 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1568/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1569 / XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

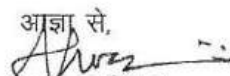
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० अरुण कुमार सिंह, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1265/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, मेला हरिद्वार।	गवर्नर हाउस डिस्पेंसरी, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(1) 7(घ)(2) , 7(घ)(3) सपटित धारा-13(4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2460
JD (A)
17-7-26
CAOT
13/7/2026

1 आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26796 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1569/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, लोकभवन उत्तराखण्ड, देहरादून
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1570 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

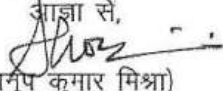
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 मुकेश सुन्दियाल, फिजिशियन	1251/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।	उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(3) सपटित धारा-13(3) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2601)
JD(A)
13-7-26
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26797 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1570/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार/उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून/विकासनगर, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1571 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० वन्दना सुन्दियाल, डायग्नोस्टिक	1185/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।	उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(3) सपटित धारा-13(3) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2402
JD (A)
13-7-26

13/7/2026

भा.जा. से,
(अमर कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26798 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1571/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर/उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1542 / XXVIII-1 / 01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

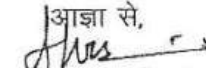
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० संजीव खर्कवाल, संयुक्त निदेशक	1129/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, अल्मोड़ा।	जिला चिकित्सालय, नैनीताल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(3), 13(4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

2403

JDLA
13-7-26

CHOR
13/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26799 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1572/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4. प्रमुख अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति घन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1573/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम / पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरण धीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० मोनिका जोशी खर्कवाल, संयुक्त निदेशक	1135/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।	जिला चिकित्सालय, नैनीताल।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(3), 13(4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदरथापना / तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

7409
JDLA)
12-7-26

CHD
13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26800

देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1573/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4. प्रमुख अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल/अल्मोड़ा।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, नैनीताल।
8. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1574/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 उमा, चिकित्साधिकारी	1317/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	महिला चिकित्सालय, सिमली (चगोली)।	प्रा0स्वा0के0 राजपुर, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(5) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2405)
JD(A)
13-7-26

CHOT
13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26801

देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1574/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1575 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० संजीव कुमार सिंह, ऑर्थोपैडिक	1346/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उपजिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग, चमोली।	जिला चिकित्सालय, देहरादून।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(3) एवं धारा-13 (4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2406
JD(A)
12-7-26

13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पा0ओ0 गुजराड़ा, सह. ब्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26802 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1575/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून/कर्णप्रयाग, चमोली।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1576 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० शिखा ठाकुर, स्त्री रोग विशेषज्ञ	1332/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।	प्रा०स्वा०के० डोईवाला, देहरादून।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(3) एवं धारा-13 (4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शर्कर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आश्रय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2407
JD (A)
13-7-26

13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26803 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1576/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग/उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1574 / XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

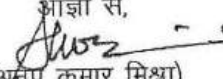
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 अमित कुमार डावरा, चिकित्साधिकारी	1349/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	पी0एम0सी0 कांधार, बागेश्वर।	पी0एम0सी0 मुण्डलाना, हरिद्वार।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(3) सपठित धारा-13 (4) एवं 14 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2408)
JD (4)
13-7-26
CAOI
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26804 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1568/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/बागेश्वर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/बागेश्वर।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार।
6. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1578 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० प्रतीक थापा, चिकित्साधिकारी	1327/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	महिला चिकित्सालय, सिमली, कर्णप्रयाग (चमोली)	पी0एम0सी0 नेहरूग्राम, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(3) सपटित धारा-13 (4) एवं 14 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

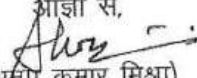

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2409
JD(LA)
13-7-26

CAOJ
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड, देहरादून -

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763 फैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26805 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1578/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 13 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, भौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/चमोली।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/चमोली।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1579 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

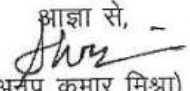
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 अकलीम अहमद, चिकित्साधिकारी	1352/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, बागेश्वर।	उप जिला चिकित्सालय, सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2410)
JD (A)
17-7-26
CHOF
13/7/2026

भाज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26806 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1579/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर/उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1580 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

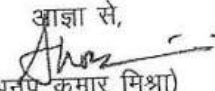
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 हितेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1266/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0, नैनीताल।	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7 (घ) (1) एवं (2) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2411)
JD (A)
17-7-26
CAOT
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26807 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1580/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
4. प्रमुख अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1581 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 अमित मेहरा, चिकित्साधिकारी	1401/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा0स्वा0केन्द्र, रायपुर, देहरादून।	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-10 सपटित धारा-13 (2) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2412)
JD (A)
12-7-26

CHD
13/7/2026

भा.जा. से,
(अमरूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26808 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1581/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
6. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1582/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 सैय्यद असद अब्बास, फिजिशियन	1169/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।	उप जिला चिकित्सालय, सितारगंज (उधम सिंह नगर)	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(3) के अन्तर्गत सपटित धारा-13 (5) एवं 14 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2413
JD (A)
13-7-26

13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26809 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1582/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, चौखुटिया, अल्मोड़ा/खटीमा, उधमसिंह नगर/सितारगंज, उधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1583 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० हरीश चन्द्र गड़कोटी, ई0एन0टी0 विशेषज्ञ	1367/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, नैनीताल।	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा। (प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक)	प्रशासनिक कार्यों की अनवरता बनाए रखे जाने की दृष्टि के आधार पर तथा अधिनियम 2017 की धारा-7 (घ) (1) एवं (2) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

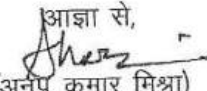

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- गार्ड फाईल।

2414
JDCA)
12-7-26

CAOT
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26810 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1583/XXVIII-3/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा/नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1584 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

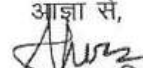
चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यलय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डॉ0 वी0पी0 सिंह, अस्थि रोग विशेषज्ञ	1117/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, लोहाघाट, चम्पावत।	जिला चिकित्सालय, नैनीताल।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7 (घ)(2) सपठित धारा-11 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2415
JD (A)
13-7-26
CAOI
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26811

देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1584/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर/चम्पावत।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा/उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर/लोहाघाट, चम्पावत।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर/चम्पावत।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1585 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पीओएमओएसओ संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० सिद्धार्थ पाटनी, फिजीशियन	1382/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(2) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

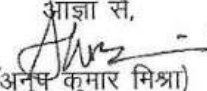

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2416
JDLA)
13-2-26

CAOI
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26812 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1585/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।
4. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1586 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० रघुवर दत्त भट्ट, बाल रोग विशेषज्ञ	1253/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, नैनीताल।	उप जिला चिकित्सालय, खटीमा।	चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित परिस्थिति 06 माह सेवानिवृत्त के शेष रहने के कारण सेवानिवृत्तिक औपचारिकताएं पूर्ण करने की बाध्यता के अन्तर्गत।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2417
JD(A)
13-7-26

13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26813 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1586/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
4. प्रमुख/मुख्य अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल/उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1587 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 विजय कुमार गुप्ता, चिकित्साधिकारी	1371/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आई0सी0यू0 टनकपुर।	सा0स्वा0केन्द्र, कोटाबाग, नैनीताल।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध / में वर्णित विकल्प को धारा-13 (2) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

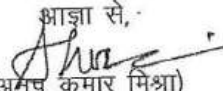

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2418
JDC(A)
13-7-26

CHOT
13/7/2020

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608743, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26814

देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1587/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/चम्पावत।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, टनकपुर, चम्पावत।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/टनकपुर, चम्पावत।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1588 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 सुरेश कुमार, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ	1174/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, चौखुटिया।	उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, ऊधम सिंह नगर।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

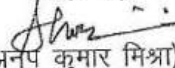

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(2419)
JDCA)
13-7-26

CAOI
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26815 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1588/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर/उप जिला चिकित्सालय, चौखुटिया, अल्मोड़ा/खटीमा, उधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1589 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 परमेश्वरी दयाल गुप्ता, नेत्र सर्जन	1168/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पौड़ी।	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, ऊधम सिंह नगर।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(4) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

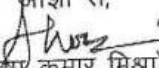

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2420
JD (A)
12-7-26

CAO
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26816 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1589/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/पौड़ी
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, बाजपुर, उधमसिंह नगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/पौड़ी।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, बाजपुर, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1590 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 गरिमा पन्त, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1181/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा0स्वा0केन्द्र, बेलेश्वर, टिहरी गढ़वाल।	उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-7(घ)(3) सपठित धारा-13 (4) एवं 14 के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शर्मा पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2421
JD(A)
13-7-26

13/7/2026

आज्ञा से,
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26817 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1590/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1591 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 आनन्द बसवाल, सोनोलॉजिस्ट	1310/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, नैनीताल	सा0स्वा0केन्द्र, कपकोट, बागेश्वर।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को धारा-13(2) के अन्तर्गत स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

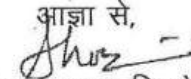

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2422
JD(A)
13-7-26

1401
13/7/2026

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26818 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1591/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
4. प्रमुख अधीक्षक, बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाइल।

(प्रीति प्रन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1592/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 सुवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	संशोधित तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० बृजेश डोमाल, चिकित्साधिकारी	1386/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, देहरादून।	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, टिहरी गढ़वाल	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, टिहरी गढ़वाल में दिनांक 17.12.2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिस कारण धारा-7(ख) सपटित धारा-7(घ)(2) पर पुनर्विचार करते हुए सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के अनुरोध में वर्णित विकल्प को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

2422
JD (A)
13-7-26

(कृप)

13/7/2026

आज्ञा से,
(अरूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गृजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com

दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026 /

26819

देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2026

शासनादेश संख्या-1592/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
6. गार्ड फाइल।

(प्रीति चन्त)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)